बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

संकल्प

सं0सं0 :–2/अ0प्र0–7–01/2022 2733 /पटना/दिनांक:– 22.04.24

श्री अरूण कुमार, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दाउदनगर को निगरानी विभाग द्वारा दिनांक 17.05.2022 को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किये जाने एवं श्री कुमार के पटना स्थित आवास की तलाशी के क्रम में नगद 5,60,000/– रूपये, विभिन्न बैंकों के 15 खाते, एल0आई0सी0 तथा अन्य वित्तीय संस्थानों में निवेश से संबंधित कागजात बरामद किये जाने के मामले में श्री कुमार के विरूद्ध निगरानी थाना कांड सं0–022/2022 दिनांक 17.05.2022 धारा–7(a) भ्र0नि0अधि0, 1988 (संशोधित अधिनियम–2018) दर्ज कर न्यायिक हिरासत में आदर्श केन्द्रीय कारा बेउर, पटना भेजा गया। इस आलोक में श्री कुमार को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9(1)(क), (ग) एवं 9(2)(क) के तहत अधिसूचना सं0–1056–सह–पठित ज्ञापांक 1057 दिनांक 21.06.2022 द्वारा कारावास में जाने की तिथि 17.05.2022 के प्रभाव से निलंबित किया गया।

2. कारा से रिहा होने के पश्चात् श्री कुमार द्वारा दिनांक 07.12.2022 के पूर्वाहन में विभाग में योगदान समर्पित किया गया। श्री कुमार द्वारा समर्पित अभ्यावेदन पर विचारोपरांत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 9(3)(i) के तहत दिनांक 07.12.2022 के पूर्वाहन से श्री कुमार का योगदान स्वीकृत किया गया। चूँकि उपर्युक्त संदर्भित अधिसूचना सं0–1056–सह–पठित ज्ञापांक 1057 दिनांक 21.06.2022 द्वारा श्री कुमार को नियम 9(2)(क) के साथ–साथ 9(1)(ग) के तहत भी निलंबित किया गया था। अतः श्री कुमार दिनांक 07.12.2022 को योगदान के पश्चात पुनः निलंबित समझे जायेंगे संबंधी अधिसूचना सं0–370–सह–पठित ज्ञापांक 371 दिनांक 21.02.2023 निर्गत किया गया। निलंबन अवधि में श्री कुमार का मुख्यालय अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार का कार्यालय निर्धारित किया गया।

3. श्री कुमार के विरूद्ध कदाचार के गंभीर आरोपों को दृष्टिपथ रखते हुए विभागीय संकल्प सं0–2631 दिनांक 18.12.2023 के द्वारा मुख्य जाँच आयुक्त बिहार, पटना के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। मुख्य जाँच आयुक्त के आदेश दिनांक 04.01.2024 द्वारा इस विभागीय कार्यवाही को श्री बैद्यनाथ यादव, सचिव, शिक्षा विभाग–सह–जाँच आयुक्त को हस्तांतरित कर दिया गया। वर्तमान में श्री कुमार के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही सचिव, शिक्षा विभाग–सह–जाँच आयुक्त के अधीन संचालित है।

4. श्री कुमार द्वारा समर्पित अभ्यावेदन में लगातार दो वर्षों से निलंबित रहने के कारण अपने पारिवारिक आर्थिक समस्याओं को इंगित करते हुए जीवन निर्वाह भत्ता में वृद्धि करने का अनुरोध किया गया है।

5. श्री कुमार द्वारा समर्पित अभ्यावेदन के आलोक में मामले की समीक्षोपरांत इनके विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के निर्णय में विलंब की संभावना को देखते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 10(1)(i) में निहित प्रावधानों के तहत श्री कुमार को मिल रहे जीवन निर्वाह भत्ता में उनके निलंबन अवधि एक वर्ष पूरा होने की तिथि से 50 प्रतिशत की वृद्धि की स्वीकृति दी जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(डॉ0 फतेह फैयाज)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–7–01/2022 /पटना/दिनांक :–

प्रतिलिपि :–महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–7–01/2022 2733 /पटना/दिनांक :– 22/11/24

प्रतिलिपि :–अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार पटना/विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, विहार, पटना/अभियंता प्रमुख–सह–अपर आयुक्त–सह–विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–6 एवं प्रशाखा–12 ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना एवं श्री अरूण कुमार, तदेन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, दाउदनगर सम्प्रति निलंबित मुख्यालय :– अभियंता प्रमुख का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :– 2/अ0प्र0–7–01/2022 /पटना/दिनांक :–

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव